19/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। वकील प्रार्थीगण ने नोट-शीट अंकित कर प्रा.पत्र आगे नहीं चलाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र 'नोट-शीट' में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद पत्र के साथ सलग्न हो।

Not D298

(बीनू देवी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)